



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229378
CG-DL-E-02092021-229378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3287]
No. 3287]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3590(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1226(अ), दिनांकित 16 मई, 2013 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 42 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 42 (पुराना रा.रा-219) के पलमानेरू से कृष्णागिरी खंड के डिजाइन किमी 58.600 से किमी 140.040 (मौजूदा किमी 58.600 से किमी 140.680 तक) तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के खंड के उपयोग के लिए 81.184 किमी निवल सड़क खंड लंबाई और 2.56 किमी (0.256 किमी की लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60 प्रतिशत पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले में दानामैयाहगारी पल्ली गांव के निकट डिजाइन किमी 88.810 (मौजूदा चै. किमी 89.100 पर	81.184 किमी [संरचना की लंबाई (>60मी) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर जिले में दानामैयाहगारी पल्ली गांव के निकट डिजाइन किमी 88.810 (मौजूदा चै. किमी 89.100) पर	0.256	2.56 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
कुल समतुल्य लंबाई		2.56 किमी	

*60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	संरचना का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	से	तक		
1	82.322	82.418	बड़ा पुल	0.096
2	112.405	112.501	बड़ा पुल	0.096
3	131.288	131.352	बड़ा पुल	0.064
जोड़				0.256

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 285.00 रु. (दो सौ पचासी रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 251.50 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से

वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/112/2014-एपी/पी-7/जोन-III]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3590(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1226 (E) dated the 16th May, 2013 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 to 1956), the Central Government has entrusted National Highway 42 as situated in the State of Andhra Pradesh to State Government of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at Sixty Percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 81.184 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.56 km (having length of 0.256 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the table 1 below for the use of two lane with paved shoulders of Palamaneru to Krishnagiri Section from Design kilometre 58.600 to kilometer 140.040 (existing km 58.600 to km 140.680) of National Highway number 42 (Old NH-219) in the State of Andhra Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 88.810 (Existing Ch. Km. 89.100) near Danamaiahgaari Palle Village in Chittoor district in the state of Andhra Pradesh	81.184 Km [Excluding length of structures (>60m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be also due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following toll plaza(s), by the converting the length of structures into an equivalent length of Highway by the multiplying the length of such structures by the equalization factor of 10:-

Table-3			
Location of Toll Plazas (Chainage)	Length of Structure* (In Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which the fee is payable
At Design Km 88.810 (Existing Ch. Km. 89.100) near Danamaiahgaari Palle Village in Chittoor district in the state of Andhra Pradesh	0.256 km	2.56 km	60% of the base rates mentioned in table 1 above
Total Equivalent Length		2.56 km	

*Details of structure having length more than 60m is as under:-

S. No.	Location of Structure(Design Chainage)		Type of structure	Length (km)
	From	To		
1	82.322	82.418	Major Bridge	0.096
2	112.405	112.501	Major Bridge	0.096
3	131.288	131.352	Major Bridge	0.064
TOTAL				0.256

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 285.00 (Rs. Two Hundred Eighty Five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rs. 251.50 Crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH-12014/112/2014-AP/P-7/Zone-III]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.